

अताराकित प्रश्न संख्या : 189  
दिनांक : 28.02.2019  
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुखबीर सिंह दलाल  
विभाग का नाम : महिला एवं बाल विकास विभाग  
विभाग का पता : 1ए, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	मुण्डका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 01.01.2015 से रोकी/बंद की गई विधवा पेंशनरों का नाम, पते सहित विवरण और ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन रोके जाने के कारण क्या है;	<p>मुण्डका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 01-01-2015 से रोकी/बंद की गयी विधवा पेंशनरों की कुल संख्या 1256 है जिनका विवरण निम्न है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जाँच के दौरान नहीं पाए गये - 97</li> <li>2. मृत्यु - 87</li> <li>3. दोहरी पेंशन लेने के कारण - 199</li> <li>4. सरकारी या अन्य पेंशन - 155. आधार संख्या उपलब्ध न कराने के कारण - 181</li> <li>6. लाभार्थी के न पाए जाने के कारण / घर बंद होने के कारण / अन्यत्र जाने के कारण - 348</li> <li>7. पुनर्विवाह - 13</li> <li>8. स्वयं के अनुरोध पर - 16</li> <li>9. आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना - 11</li> <li>10. गलत पता होने के कारण - 37</li> <li>11. अन्य कारण जैसे दस्तावेज न दिखाना इत्यादि - 42</li> <li>12. आधार, बैंक खाते से न जुड़ा होना - **210</li> </ol> <p>**उपर्युक्त सूचना 2015 से दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन में आधार कार्ड से सम्बंधित विषय विभाग में विद्यमान है।</p> <p>* नाम, पते एवं फोन नंबर उपलब्ध करवाने हेतु :  सर्वेदनशील विषय होने कारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदकों के नाम, पते एवं फोन नंबर का विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है अगर माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं तो आवेदकों का विवरण सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किया जा सकता है ।</p>
(ख)	मुंडका विधान सभा क्षेत्र में 01.01.2017 और इसके बाद प्राप्त विधवा पुत्री विवाह के लिए जिन आवेदकों के आवेदन पत्र रद्द किए जा चुके हैं, उन सभी आवेदकों की सूची क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट सहित;	<p>मुंडका विधान सभा क्षेत्र में 01-01-2017 से अबतक उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विधवा पुत्री विवाह के लिए कुल 23 आवेदकों के आवेदन रद्द किए गए हैं जिनका विवरण निम्न है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना-21</li> <li>2. शर्टी शदी का कार्ड, पता का न पाया जाना, पति और पुत्री का नाम संच न करना -22</li> </ol> <p>* आवेदकों की सूची उपलब्ध करवाने हेतु :  सर्वेदनशील विषय होने कारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदकों की सूची का विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है अगर माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं तो आवेदकों का विवरण सॉफ्ट में प्रदान किया जा सकता है ।</p>

25.02.19  
DO (FAS)  
Dept. of Women & Child Development  
Govt. of NCT of Delhi

(ग)	क्या यह सत्य है की 01.01.2015 से मुण्डका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के कार्यालय में लाडली योजना का फॉर्म एवं एन.डब्लू.-1 एवं (डब्लू सी.डी) द्वारा उपलब्ध कराया गया है; और	दिनांक 1.1.2015 से मुंडका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के कार्यालय में लाडली योजना का फॉर्म जिला कार्यालय, उत्तर पश्चिम - 1 (एन.डब्लू. - 1) (डब्लू. सी. डी.) द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
(घ)	विधवा पेंशन, लाडली योजना एवं विधवा की पुत्री विवाह में सहायता राशि देने के लिए जारी सभी मार्ग निर्देशों की प्रति;	विधवा पेंशन, लाडली योजना एवं विधवा की पुत्री विवाह में सहायता राशि देने के लिए मार्ग निर्देशों की प्रति संलग्न है।

sh

25-03-19

DD (FAS)

Dept. of Women & Child Development  
Govt. of NCT of Delhi

महिला एवं बाल विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
१, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग  
नई दिल्ली - ११०००१  
आर्थिक सहायता अनुभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग के वित्तीय सहायता योजना का विवरण: -

• विधवा पेंशन योजना का लक्ष्य और उद्देश्य-

18 से आजीवन वर्ष तक के आयु की उन विधवाओं, विवाह विच्छेद, तलाकशुदा, अलग /असहाय या परि, त्त महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर सामाजिक संरक्षण प्रदान करना जिनके पास कोई भी पर्याप्त निवृत्ति के साधन नहीं हैं और वे निर्धन, जरूरतमंद और असुरक्षित हैं।

विधवा पेंशन सहायता के लिए पात्रता और भुगतान का तरीका-

- (क) पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से दो हजार पांच सौ रूपए (2,500/-) प्रति लाभार्थी भुगतान किया जाता है।
- (ख) आर्थिक सहायता आवेदन की स्वीकृति के उपरान्त देय होती है।
- (ग) प्रार्थी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु 1,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना

गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना का लक्ष्य और उद्देश्य-

- (क) गरीब विधवाओं को अपनी लड़की का विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- (ख) अनाथ लड़की के अभिभावक जिसमें गृह /संस्था अथवा पोषक माता-पिता अथवा अनाथ लड़की को अपने विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- (ग) यह अनुदान सिर्फ एक बार के लिए है।

गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना पात्रता और भुगतान का तरीका-

30,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता केवल आवेदक के नाम P.F.M.S. के माध्यम से अकाउंट में दिया जाता है।

आर्थिक सहायता के लिए शर्तें -

- (क) प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र देने के तिथि से पूर्व 5 वर्षों का दिल्ली का स्थाई निवासी होना आवश्यक।
- (ख) प्रार्थी के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु 60,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान पाने के लिए उक्तका बैंक में " एकल संचालित " खाता हो।
- (घ) वह इस योजना के लिए केंद्रीय सरकार /राज्य सरकार / दिल्ली नगर निगम तथा / अथवा नई दिल्ली नगर परिषद् या किसी अन्य स्रोतों से किसी प्रकार के पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (ङ) जिस लड़की के विवाह के लिए सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- (च) विधवा महिला को यह सहायता सिर्फ दो लड़कियों के विवाह के लिए दी जा सकती है।

25-07-18  
25-07-18  
Dept. of Women & Child Development  
Govt. of NCT of Delhi

## दिल्ली लाडली योजना -2008

18/1/08

दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में जन्म लेने वाली बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए 01.01.2008 को "लाडली योजना" की शुरुआत की गई है। यह योजना लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने, छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और उच्चतर शिक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।

इस योजना का लाभ प्रति परिवार केवल दो जीवित बालिकाओं तक सीमित है। स्टेट बैंक लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBIL) योजना की निधि प्रबंधक है।

इस योजना के तहत पात्र लड़कियों को निम्नलिखित आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है:-

क्रमांक	वित्तीय सहायता का चरण	वित्तीय सहायता (₹) में
1.	जब कोई बालिका किसी संस्था में जन्म लेती है (बशर्ते कि बालिका पिछले एक साल में पैदा हुई हो)	₹ 11,000 /-
2.	जब बालिका का जन्म घर पर होता है (बशर्ते बालिका पिछले एक साल में पैदा हुई हो)	₹ 10,000 /-
3.	बालिका के कक्षा- 1 में प्रवेश लेने पर	₹ 5,000 /-
4.	बालिका के कक्षा- 6 में प्रवेश लेने पर	₹ 5,000 /-
5.	बालिका के कक्षा- 9 में प्रवेश लेने पर	₹ 5,000 /-
6.	बालिका के कक्षा- 10 पास करने या कक्षा- 11 में प्रवेश लेने पर	₹ 5,000 /-
7.	बालिका के कक्षा- 12 में प्रवेश लेने पर	₹ 5,000 /-

### I) योजना में बालिकाओं का पंजीकरण कब करना है: -

- क) जन्म के समय- एक वर्ष के भीतर अर्थात बालिका के पहले जन्मदिवस से पहले।
- ख) यदि बच्चा जन्म के समय पंजीकृत नहीं है, तो उसे स्कूल में कक्षा 1, 6, 9, 11 और 12 में प्रवेश पाने पर पंजीकृत किया जा सकता है।


### II) पंजीकरण कहाँ करे: -

- क) जन्म के समय - महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में।
- ख) स्कूल में - स्कूल में फॉर्म जमा किया जाएगा जिसे स्कूल अधिकारियों द्वारा संबंधित जिला कार्यालय को भेज दिया जाएगा।

### III) योजना में पंजीकरण की योग्यता और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: -

- क) पंजीकरण से पहले दिल्ली में तीन साल का निवास प्रमाण पत्र।
- ख) परिवार की वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए।
- ग) एमसीडी / एनडीएमसी (जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा) जारी किया गया बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- घ) बालिका के साथ माता-पिता का समूहिक फोटो।
- ङ) वार्षिक आय दिखाते हुए आय प्रमाण पत्र / स्व द्वारा घोषित आय का प्रमाण पत्र।
- च) एससी / एसटी / ओबीसी के मामले में जाति प्रमाण पत्र।
- छ) माता-पिता और बालिका के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।

IV) छात्राओं और अभिभावकों के लिए निर्देश: - छात्राएं विद्यालय से योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं और केवल विद्यालय में जमा करेगी। छात्राओं को स्कूल प्राधिकारियों से फॉर्म के साथ संलग्न पावती पर्ची प्राप्त करना चाहिए और जब तक कि स्टेट बैंक लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBIL) द्वारा जारी किया गया पावती पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उसे सुरक्षित रखना चाहिए। स्कूल प्राधिकरण पावती पर्ची को सत्यापित कर सकता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि फॉर्म जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

  
 25/02/08  
 (Imp. of Women & Child Development  
 Govt. of NCT of Delhi)

## वीय सहायता का नवीकरण: -

1. **माता-पिता की भूमिका:** - जब बच्चा पंजीकरण के शैक्षिक स्तर तक पहुँच जाता है, अर्थात् स्कूल में कक्षा 1, 6, 9, 11 या 12 का प्रवेश लेता है, तो वह वित्तीय सहायता के नवीकरण के लिए पात्र हो जाता है। योजना में अगली वित्तीय सहायता के नवीकरण के लिए माता-पिता को, योजना में पंजीकरण के समय प्राप्त हुई पावती पर्ची या स्टेट बैंक लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBIIL) द्वारा जारी किए गए पावती पत्र की फोटोकॉपी तथा बालिका के स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र / उत्तीर्ण की गई कक्षा की मार्कशीट की फोटोकॉपी बालिका के स्कूल प्राधिकारियों को जमा करनी होती है। जिसे बाद में स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर स्कूल अधिकारियों द्वारा सम्बंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज / जमा करा दिया जाता है।

2. **स्कूल की भूमिका:** - माता-पिता से उपर्युक्त दस्तावेज प्राप्त करने पर, प्रधानाचार्य जिला से रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद जिला कार्यालय को भेज देगा। नवीनीकरण जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा जहाँ बालिका का पंजीकरण शुरू में किया गया था। प्रति हर साल मई के महीने में शुरू हो सकती है। नवीकरण को जल्द से जल्द अग्रिम किया जा सकता है ताकि जमा किए गए धन अधिकतम ब्याज प्राप्त हो।

## VI) परिपक्वता राशि का दावा: -

योजना के तहत पंजीकृत लड़कियाँ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद योजना की परिपक्वता राशि का दावा कर सकती हैं। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बालिका को अपने सम्बंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में परिपक्वता राशि प्राप्त करने का दावा करना होता है: -

- क) एसबीआईएल द्वारा जारी पावती पत्र या पावती पर्ची की फोटोकॉपी।
- ख) 10वीं एवं 12वीं पास की मार्कशीट/सर्टीफिकेट की फोटोकॉपी।
- ग) बालिका के भारतीय स्टेट बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी।
- घ) बालिका के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।

योजना की परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए बालिका का भारतीय स्टेट बैंक में खाता होना अनिवार्य है। जिसके लिए भारत स्टेट बैंक में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एसबीआईएल से प्राप्त पावती पत्र दिखाकर लड़कियों के द्वारा एक शून्य बीमा बचत खाता खोला जा सकता है। इस चरण से पहले बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पैसा उस बच्चे की यूनिवर्सल आईडी नंबर के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाता है जिसे केवल एसबीआईएल द्वारा परिपक्वता के समय ही बालिका के बैंक खाते में आर्दित किया जाता है।

## VI) शिकायत निवारण: -

योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शिकायत या स्पष्टीकरण के लिए बालिका या माता-पिता अपने सम्बंधित जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ उन्होंने योजना का पंजीकरण कराया था।

योजना का फॉर्म महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों और विभाग की वेबसाइट [www.wcddei.in](http://www.wcddei.in) पर निःशुल्क उपलब्ध है।

28-02-19  
DD (FAS)  
Deptt. of Women & Child Development  
Govt. of NCT of Delhi